राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdadmn.cce@gmail.com Ph.: 0141-2702247

क्रमांक : एफ.1( )पीएस/आकाशि/2023/ 6591 दिनांक : 27.09.2023

:: आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164ए के प्रावधान के अन्तर्गत निम्न सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय/कार्यालय में नीचे दी गई तालिका के कॉलम संख्या 04 पर अंकित रिक्त पद के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 28– 03–2023 के अनुसार निर्धारित समेकित पारिश्रमिक पर एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक उपलब्ध होने अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक के लिए पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	सेवानिवृत्ति के समय धारित पद	रिक्त पद का नाम जिसका कार्य किया जाना है तथा जिसके विरूद्ध पुनर्नियुक्त किया जा रहा है	महाविद्यालय का नाम जहां रिक्त पद के विरूद्ध सेवाएं ली जानी हैं
01	हरि नारायण यादव	पर्यवेक्षक	सहा. प्रशा. अधिकारी	राजकीय महाविद्यालय, जयपुर
02	मनोहर देवी	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा
03	महेश कुमार अग्रवाल	लेखाधिकारी	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर
04	सत्यपाल	फायरमैन	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजगढ़ (चूरू)
05	दिनेश जोशी	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बयाना
06	शम्भूदयाल शर्मा	च.श्रे.क.	च.श्रे.क.	राजकीय स्ना. महाविद्यालय, किशनगढ़
07	सुरेश चन्द वर्मा	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

पुनर्नियुक्ति की शर्तें :

01. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30–08–2022 के अनुसार भुगतान संवेतन मद से किया जावेगा।
02. सेवानिवृत्त कर्मचारी जिस केडर से सेवानिवृत्त हुआ है उस ही केडर में रिक्त पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

Signature valid
Digitally signed by Suni Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.27 1?:00:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4798529

03. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 भाग काटा जावेगा।

04. समेकित पारिश्रमिक के आधार पर पुनर्नियुक्ति पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवदेनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़ बही को लिखने और रौकड़िया के रूप में कृत्य करने से सम्बन्धित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जावेंगे।

05. राजकीय कार्य से यात्रा करने पर यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञेय होगा।

06. पुनर्नियुक्ति सेवाएं 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

07. राजकीय हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में एक वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, तक अभिवृद्धि आपसी सहमति से की जा सकेगी।

08. पुनर्नियुक्ति के दौरान दूरभाष/मोबाईल/इन्टरनेट व्यय का पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

09. पुनर्नियुक्ति अवधि के दौरान कोई चिकित्सा व्यय पुनर्भरण अनुज्ञेय नहीं होगा।

10. शेष प्रावधान एवं शर्तें कार्मिक विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/परिपत्रों के अनुसार होंगे।

(सुनील शर्मा)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर

क्रमांक : एफ.1( )पीएस/आकाशि/2023/ 6591 दिनांक : 27.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. स्थापना शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सम्बन्धित प्राचार्य/सहायक निदेशक, राजकीय महाविद्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक (क-2) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक 28-03-2023 की पालना सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही करते हुए नोडल महाविद्यालय/कार्यालय में पद रिक्त होने पर ही कार्यग्रहण करावें तथा रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को **जरिये ई-डाक** उपलब्ध करावें।
5. सम्बन्धित सेवानिवृत्त कार्मिक को सूचनार्थ।
6. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Signature valid

Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.27 16:00:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4798529